Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 30-11-2006

Participants : Mahabir Prasad Shri

an>

Title: Motion for election of 2 Members to the National Board for Micro, Small and Medium Entreprises (Motion Adopted).

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ --

> "कि राट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3(एक) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड(घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, दो वर्ा की अवधि के लिए, राट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

MR. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, read with rule 3 (i) of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006 the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises, for a period of two years, subject to other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.